

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-9  
संख्या-509/दो-9-2018-8(15)/2012  
लखनऊ, दिनांक 03 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री अनिल कुमार गौतम, समीक्षा अधिकारी नियुक्ति अनुभाग-5 को उनकी स्वयं की एवं उनकी पत्नी श्रीमती शशी गौतम की दिनांक 03.12.2017 से 15.12.2017 तक, दिनांक 21.12.2017 को एवं दिनांक 26.08.2017 से 04.09.2017 तक डा0 राजेश भाटिया, चन्द्रा सुपर स्पेस्लिटी आई हास्पिटल, डा0 राहुल तिवारी, साई दन्त एवं मुख चिकित्सालय एवं डा0 शैलेश यादव सुसेना मेडिकल सेन्टर लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः धनराशि रू0-50,728/-, रू0-36,750/- एवं रू0-37,750/- अर्थात् कुल रू0-1,25,228/- (रूपये एक लाख पच्चीस हजार दो सौ अट्ठाइस मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री अनिल कुमार गौतम, समीक्षा अधिकारी नियुक्ति अनुभाग-5 का वेतन आहरित किया जाता है।

सुरेश कुमार पाण्डेय  
संयुक्त सचिव

संख्या-509(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 6- श्री अनिल कुमार गौतम, समीक्षा अधिकारी नियुक्ति अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
- 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से  
*शिवनाथ दुबे*  
(विश्वनाथ दुबे)  
अनु सचिव